

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 15 नवम्बर, 2022

विषय- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़ कर समस्त विद्यालयों में प्रबन्ध समिति का गठन किये जाने किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबन्ध समिति का गठन किये जाने का प्राविधान है, जिसका कार्यकाल गठन के दिन से प्रारम्भ होकर दो वर्षों के लिए होता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक: 28 जून, 2011, 06 जुलाई, 2012, 01 अगस्त, 2013, 27 जून, 2016, 31 अगस्त, 2018, तथा दिनांक: 23 नवम्बर, 2020 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासन द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 में गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति का कार्यकाल दिनांक: 30 नवम्बर, 2022 को समाप्त हो रहा है। उक्त समिति के स्थान पर विद्यालयों में नवीन विद्यालय प्रबन्ध समितियों के गठन का कार्य दिनांक: 20 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2022 तक की अवधि में कराया जाना है, जिससे नवगठित विद्यालय प्रबन्ध समिति दिनांक: 01 दिसम्बर, 2022 से क्रियाशील हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, निपुण भारत मिशन एवं वित्तीय व्यवस्था के नवीनतम प्राविधानों के दृष्टिगत उपर्युक्त समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए नवीन विद्यालय प्रबन्ध समितियों के गठन हेतु निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

(1) विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन-

- i. विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़ कर प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा एवं प्रत्येक दो वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। इस हेतु समिति का कार्यकाल 23 माह पूर्ण होने के साथ ही नयी विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन की कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय एवं 24वाँ माह समाप्त होने के पूर्व ही नवीन समिति का गठन कर लिया जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों यथा-आम चुनाव, महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में यदि 24 वे माह में नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन नहीं हो पाता है, तो ऐसी दशा में स्थितियों सामान्य होते ही यथाशीघ्र विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन करा लिया जाय एवं नवीन समिति के गठन तक पूर्व की समिति कार्य करती रहेगी।

- ii. एक ही परिसर में स्थापित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालय में एक ही विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा।
- iii. प्रदेश के समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा।
- iv. विद्यालय प्रबन्ध समिति में 15 सदस्य होंगे जिनमें से 11 सदस्य अध्ययनरत् बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावक होंगे परन्तु समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होंगी।
- v. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अवशेष 04 सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात:-
 - (क) स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य, जिसका विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा;
 - (ख) एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिडवाइफ (ए0एन0एम0) में से लिया जायेगा, जिसका विनिश्चय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा;
 - (ग) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखपाल;
 - (घ) एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक की तैनाती न होने की दशा में प्रभारी प्रधानाध्यापक होगा, जो समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा।
- vi. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अभिभावक सदस्यों में एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के माता-पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे।
- vii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अभिभावक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जायेगा, परन्तु सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षा से बच्चों के एक माता-पिता/अभिभावक का चयन किया जायेगा तत्पश्चात् शेष सदस्यों का चयन होगा। आम सहमति न बनने की स्थिति में उन सदस्यों का चयन किया जायेगा, जिनके पक्ष में अधिक अभिभावक होंगे। आवश्यकता पड़ने पर हाथ उठाकर अभिमत प्राप्त किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर गोपनीय मतदान कराया जाएगा।
- viii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के 11 अभिभावक सदस्यों के चयन में प्रत्येक कक्षा से प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।
- ix. समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबन्धन हेतु माता-पिता/अभिभावक सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष में से एक महिला का होना अनिवार्य है।
- x. आमसभा की बैठक में उपस्थित अभिभावकों की उपस्थिति का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान रिकार्ड के रूप में रखा जायेगा।
- xi. शिक्षामित्रों, रसोइयों को व शिक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों (विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य सचिव के अतिरिक्त) को समिति का सदस्य नहीं बनाया जायेगा।
- xii. विद्यालय प्रबन्ध समिति गठित होने के उपरान्त सदस्यों का पूर्ण विवरण, बच्चे का नाम, अभिभावक (माता/पिता/संरक्षक) का नाम, मोबाइल नं0 रजिस्टर में दर्ज किया जाय तथा सदस्यों का विवरण एक सप्ताह के अन्दर विद्यालय की दीवार पर पेंटिंग कराते हुए प्रदर्शित किया जाय। ब्लॉक संसाधन केन्द्र पर समस्त एस0एम0सी0 सदस्यों का डाटाबेस तैयार किया जाय।
- xiii. विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों की कुल संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत बच्चों के माता-पिता/संरक्षकों के उपस्थित होने की स्थिति में ही विद्यालय प्रबन्ध समिति का

चयन किया जाये तथा कोरम(Quorum) को पूरा कराने का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा।

(2) विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन हेतु प्रक्रिया-

- i. जिलाधिकारी जनपद के समस्त विकास खण्डों में स्थित विद्यालयों हेतु खुली बैठक की तिथियों का निर्धारण कर प्रत्येक विकासखण्ड के लिए पृथक-पृथक नोडल अधिकारियों को नामित करेंगे, जो आवंटित विकास खण्ड के समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन के लिए उत्तरदायी होंगे एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे।
- ii. जनपद स्तर पर खुली बैठक की तिथि का चार्ट विद्यालयवार तैयार किया जायेगा तथा सम्बन्धित विकास खण्ड हेतु नामित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
- iii. खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में इस आशय की मुनादी कराया जाना सुनिश्चित किया जाये कि उनके विकासखण्ड में एस0एम0सी0 का चुनाव अमुक तिथि को होगा।
- iv. विकास खण्ड के नोडल अधिकारी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपने विकास खण्ड में स्थित विद्यालयों में खुली बैठक हेतु ब्लाक में उपलब्ध कार्मिकों की टीम गठित कर विद्यालयवार ड्यूटी आवंटित की जायेगी तथा विद्यालयों को बैठक की तिथि एवं आवंटित अधिकारी का नाम ससमय उपलब्ध कराया जाएगा।
- v. विकास खण्ड स्तर पर कार्मिकों की उपलब्धता के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार अलग-अलग तिथियों में न्याय पंचायतवार निर्वाचन भी कराया जा सकता है।
- vi. विद्यालय हेतु नामित अधिकारी खुली बैठक में समिति का चयन होने तक स्वयं उपस्थित रहेंगे तथा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करायेंगे। समिति की घोषणा के उपरान्त अपनी आख्या विकास खण्ड के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- vii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन से पूर्व खुली बैठक की तिथि की सूचना, एस0एम0सी0 के कर्तव्य एवं दायित्वों की जानकारी आदि अधिक प्रचार-प्रसार वाले मुख्य समाचार-पत्रों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर अधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित करायी जाय। इसके अतिरिक्त गांव/मजरे में मुनादी कराकर एवं पर्चे, बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से समुदाय में पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराया जाये।
- viii. खुली बैठक में ग्राम प्रधान अथवा प्रधान द्वारा नामित ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड मेम्बर, नगर/जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित नगर/जिला पंचायत सदस्य की उपस्थिति में करायी जाये तथा इस हेतु बैठक की तिथि प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम शिक्षा समिति/वार्ड शिक्षा समिति को सूचित कर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाये।
- ix. प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यालय में अध्ययनरत् प्रत्येक छात्र-छात्रा के माता-पिता अथवा अभिभावक से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए एस0एम0सी0 की खुली बैठक की तिथि के बारे में सूचित करें।
- x. एस0एम0सी0 के गठन में राज्य, जनपद एवं ब्लाक स्तर पर कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्रचार-प्रसार, समुदाय को प्रेरित करने में किया जा सकता है।
- xi. निर्धारित दिवस में विद्यालय प्रबन्ध समितियों के गठन की पूर्ण कार्यवाही विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक सम्बन्धी रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाये।

(3) सदस्यता की समाप्ति-

विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों/पदाधिकारियों की सदस्यता निम्न स्थितियों में समाप्त हो जाएगी-

- i. एस0एम0सी0 पदाधिकारी/सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में,
- ii. एस0एम0सी0 पदाधिकारी/सदस्य को न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में सजा पाये जाने की स्थिति में,
- iii. किसी काम-काज, नौकरीपेशा एवं किसी अन्य कारण से अन्य जनपद/राज्य में पलायन करने की दशा में आदि।

- (4) विद्यालय प्रबन्ध समिति के रिक्तपदों (11 अभिभावक सदस्यों के कोटा) को पूर्ण करने हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की गयी है:-
- विद्यालय प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी/सदस्य के पद रिक्त होने की दशा में बच्चों के माता-पिता/अभिभावकों की खुली बैठक बुलाकर आम सहमति से सदस्य का चुनाव किया जाये, तदानुसार खाता संचालन में यथावश्यकता संशोधन बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि बैठक में 50 प्रतिशत अभिभावकों का कोरम पूरा होना अनिवार्य है।
 - पदाधिकारी/सदस्यों के बदलाव की पूरी प्रक्रिया को एस0एम0सी0 बैठक रजिस्टर में अवश्य दर्ज किया जाये
 - बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों से एस0एम0सी0 बैठक रजिस्टर में हस्ताक्षर कराये जाये।
 - नयी विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा सदस्यों में से अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव आपसी सहमति से किया जाये।
 - सदस्यों अथवा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के नाम में बदलाव की सूचना एस0एम0सी0 के सचिव द्वारा लिखित रूप से बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त के साथ खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये।
- (5) विद्यालय प्रबन्ध समिति के कार्य एवं दायित्व-
- विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा विद्यालय की कार्यप्रणाली का अनुश्रवण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति तथा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य श्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग के अनुश्रवण के साथ ही निम्नलिखित कृत्यों का भी निष्पादन करेगी जिसके लिए वह अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य-समूहों का गठन कर सकती है।
 - विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा बच्चों के अधिकार एवं माता-पिता एवं संरक्षक, स्थानीय प्राधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्तव्यों के विषय में विद्यालय के आस पास की आबादी को अवगत कराया जाए।
 - निपुण भारत मिशन के अन्तर्गत बुनियादी साक्षरता एवं गणना के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता (Community & Parental Engagment) सुनिश्चित की जाए।
 - विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय के अध्यापकगण विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय निष्ठा बनाये रखे, संरक्षकों एवं माता-पिता के साथ नियमित बैठकें करें और बच्चों की निरन्तर उपस्थिति, सीखने की क्षमता, सीखने में की गयी प्रगति और अन्य कोई प्रासंगिक सूचना के बारे में अभिभावकों को अवगत करायेंगे और यह भी कि कोई अध्यापक निजी ट्यूशन या निजी अध्यापन में लिप्त न पाया जाय।
 - विद्यालय में आस-पास के सभी बच्चों का नामांकन एवं उनकी निरन्तर उपस्थिति सुनिश्चित की जाय।
 - विद्यालय के आधारभूत संरचना एवं मानकों का रखरखाव व अनुश्रवण किया जाय।
 - बच्चों के अधिकारों के किसी भी हनन से, विशेष रूप से बालकों का मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश देने से इंकार और निःशुल्क हकदारियों के समयान्तर्गत उपलब्ध न होने आदि को स्थानीय प्राधिकारियों के संज्ञान में लाया जाय।
 - यदि किसी बालक की आयु छः वर्ष से अधिक है और उसे किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, वहाँ उसके आयु-संगत अधिगम स्तर हेतु आवश्यकताओं का चिह्नांकन एवं नामांकन योजना तैयार करना और विशेष प्रशिक्षण के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।

- ix. दिव्यांग बच्चों का चिह्नांकन एवं नामांकन तथा विद्यार्जन के लिए उनकी सुविधाओं और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने का अनुश्रवण करना।
- x. विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना एवं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- xi. विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण करना।
- xii. विद्यालय प्रबन्ध समिति को अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो उसे पृथक लेखा में रखा जायेगा एवं उक्त लेखावार्षिक संपरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।
- xiii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव द्वारा उपरोक्त लेखों पर हस्ताक्षर किये जायेंगे और उनके तैयार होने के एक माह के अन्दर सम्बन्धित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) विद्यालय विकास योजना-

- i. विद्यालय प्रबन्ध समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। यह विकास योजना तीन वर्षीय होगी। इन तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष की अलग-अलग उपयोजना भी बनायी जायेगी। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना का निर्माण भी होगा। इस विकास योजना में प्रत्येक वर्ष के लिये कक्षावार नामांकन का प्राक्कलन (इस्टीमेट) किया जायेगा और उसी के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों हेतु कक्षा 1 से 5, उच्च प्राथमिक विद्यालय/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु कक्षा 6 से 8 एवं कम्पोजिट विद्यालयों हेतु कक्षा 1 से 8 तक आर0टी0ई0 मानकों के आधार पर अतिरिक्त अध्यापक/प्रधानाध्यापकों की आवश्यकता का आंकलन भी किया जायेगा। इसके साथ अतिरिक्त अवसंरचना तथा उपस्कर आदि की भौतिक आवश्यकताओं का भी प्राक्कलन करती तीन वर्षीय योजना में समावेश किया जायेगा।
- ii. निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकताओं के अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकतायें यथा आयु-संगत कक्षा में प्रविष्ट बच्चों को विशेष प्रशिक्षण आदि उत्तरदायित्वों को पूरा करने में वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन का इस योजना में समावेश किया जायेगा।
- iii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव द्वारा यह विकास योजना हस्ताक्षरित की जायेगी और खण्ड शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास प्रस्तुत किया जाय।

(7) विद्यालय प्रबन्ध समिति हेतु वित्तीय व्यवस्था-

- i. विद्यालय प्रबन्ध समिति का बैंक खाता Zero Balance Subsidiary Account (ZBSA) के अन्तर्गत खोला जायेगा तथा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव (प्रधानाध्यापक) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना खाते को किसी अन्य बैंक में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा अथवा नया खाता खोलने की कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- ii. विद्यालय के खाते का विधिवत् रख-रखाव तथा अभिलेख सुरक्षित रखने का दायित्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा और ऑडिट के समय समस्त अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- iii. बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक माह खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथावश्यकता निर्माण कार्यों की जांच एक टीम, जिसमें दो विभागों के अभियन्ता तथा शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के

- द्वारा जांच कराने की कार्यवाही की जायेगी। गम्भीर शिकायतों के प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से भी जांच कराने का विकल्प होगा।
- iv. समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश के द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु धनराशि की सीमा (लिमिट) विद्यालय प्रबन्ध समिति के ZBSA के खाते में जारी की जाएगी और निम्नलिखित कार्य एस0एम0सी0 के माध्यम से क्रियान्वित किये जायेंगे—
- (क) विद्यालयों में समस्त प्रकार के निर्माण कार्य जैसे—विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा—कक्ष, चाहरदीवारी, शौचालय, ओवरहैड टैंक, मरम्मत एवं रखरखाव आदि।
- (ख) कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट एवं शिक्षक अनुदान।
- (ग) विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र—छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता—मोजा एवं स्टेशनरी हेतु डी0बी0टी0 के माध्यम से माता/पिता/अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में प्रेषित धनराशि का उपयोग यूनीफार्म आदि क्रय करने में ही हो, इस कार्य हेतु सहयोग प्रदान करना।
- (घ) इस प्रकृति के कोई अन्य कार्य जो राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत हों एवं जारी निर्देशों से आच्छादित हों।
- (ङ) विद्यालय निर्माण कार्यों के दायित्व से विद्यालय के प्रधानाध्यापक/अध्यापकों को मुक्त रखा जायेगा।
- (8) विद्यालय निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में व्यवस्था निम्नवत् की जाएगी—**
- i. विद्यालय सम्बन्धी समस्त निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से 04 सदस्यों की उप समिति गठित की जाएगी, जो निम्नवत् है:—
- (क) विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष,
- (ख) विद्यालय प्रबन्ध समिति के 02 अभिभावक सदस्य,
- (ग) विद्यालय प्रबन्ध समिति में समिति द्वारा नामित पदेन शासकीय सेवक, जो विद्यालय प्रबन्ध समिति का सदस्य हो, (शिक्षको से भिन्न)।
- ii. किसी भी विवाद की स्थिति में पदेन शासकीय सेवक के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- iii. उक्त समिति के 02 अभिभावक सदस्यों का चयन विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक में बहुमत के आधार पर किया जायेगा। उप समिति के चयनित समस्त सदस्यों का विवरण एवं मोबाइल नं0 आदि प्रधानाध्यापक द्वारा अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखा जाएगा।
- iv. विद्यालय निर्माण हेतु गठित उक्त उप समिति के न्यूनतम 03 सदस्यों द्वारा विद्यालय निर्माण सामग्री का क्रय किया जायेगा। क्रय की गयी सामग्री का विवरण प्रधानाध्यापक द्वारा साइट पंजिका में अंकन किया जायेगा।
- v. निर्माण कार्य एवं अन्य उपरोक्त वर्णित कार्य समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत डिज़ाइन एवं मैनुअल तथा स्वीकृत इकाई लागत के अनुसार कराया जायेगा।
- vi. निर्माण सामग्री की गुणवत्ता 03 सदस्यों द्वारा प्रमाणित की जाएगी, जिसमें से एक सदस्य पदेन शासकीय सेवक होगा।
- vii. प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में विद्यालय प्रबन्ध समिति तथा निर्माण हेतु गठित उप समिति के अभिभावक सदस्यों को अद्यतन किया जायेगा और तदनुसार खाता संचालन में, यथावश्यकता, संशोधन बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।
- viii. समस्त निर्माण कार्यों को सम्पत्ति रजिस्टर (Asset Register) में तथा क्रय की गयी वस्तुओं को स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।

- ix. समस्त निर्माण कार्यो के आय-व्यय का रख-रखाव प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा एवं समस्त कार्यो की अलग-अलग पत्रावलियाँ बनायी जायेगी। साइट पंजिका, सम्पत्ति रजिस्टर एवं स्टॉक रजिस्टर आदि समस्त अभिलेखों को प्रधानाध्यापक द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा।
- x. बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यो की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- xi. विद्यालय निर्माण कार्यो एवं अन्य समस्त कार्यो के सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के उपरान्त क्रियान्वयन हेतु अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव (प्रधानाध्यापक) अधिकृत होंगे।
- 3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें जिससे विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से हो सके।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2566(1)/68-5-2022 तददिनांक-

प्रतिलिखित निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ०प्र०।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ।
5. निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, उ०प्र० लखनऊ।
6. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।
7. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज, उ०प्र०।
8. शिक्षा विशेषज्ञ, यूनीसेफ, उ०प्र० लखनऊ।
9. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ०प्र०।
10. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ०प्र०।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।
12. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उ०प्र०।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
संयुक्त सचिव।